"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188] रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 जुलाई 2002—श्रावण 9, शक 1924

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-3/लोस्वायां-1/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा नियम 1980 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची चार के कालम (2) में शब्द मुख्य अभियंता (सिविल) के स्थान पर शब्द "मुख्य अभियंता (सिविल) तथा मुख्य अभियंता (विद्युत तथा यांत्रिकी)" स्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुशील त्रिवेदी, सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक एफ-1-3/लोस्वायां-1/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-3/लोस्वायां-1/2002, दिनांक 31 जुलाई, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुशील त्रिवेदी, सचिव.

Raipur, the 31st July 2002

NOTIFICATION

No .F-1-3/PHE-1/2002.—In exercise of the powers conferred by the provisio to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the following amendments in the Chhattisgarh Public Health Engineering (Gazetted) Service Rules, 1980 namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule IV, in column (2) in place of the words "Chief Engineer (Civil)" the words "Chief Engineer (Civil) and Chief Engineer (Electrical and Mechanical)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUSHIL TRIVEDI, Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.